छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | षोडश सत्र | अंक-11

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित एवं 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने दस्तावेज पटल पर रखा।)

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 95/छ.रा.वि.नि.आ./2022, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषय वस्तु की निबंधन शर्तें) विनियम, 2022,

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक), तथा

(4) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

पटल पर रखे।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

4. पृच्छा

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री धरमलाल कौशिक द्वारा "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के वितरण में कालाबाजारी" होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

5. स्थगन प्रस्ताव

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के वितरण में कालाबाजारी

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य पदार्थों के वितरण में कालाबाजारी के संबंध में 13 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में श्री नारायण चंदेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय उपाध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य एवं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.35 बजे स्थगित की जाकर 12.42 बजे, समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने प्रदेश में श्रम विभाग अंतर्गत संचालित औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इंडस्ट्रियल हाईजीन लेबोरेटरी में नियम विरूद्ध सहायक संचालक (इंडस्ट्रियल हाईजीन) के पद पर नियुक्ति की जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने सरगुजा संभाग के भटगांव में रेत माफिया के द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. सदन को सूचना

(1) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु चार मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों को रखा गया है । समय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आज ही चारों मंत्रियों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण कराई जाना है । मेरा सभी दलों से अनुरोध है कि अपने-अपने दल की ओर से दो-दो वक्ताओं के नाम दें, ताकि चर्चा समय पर समाप्त हो सके ।

साथ ही वक्ताओं से भी अनुरोध है कि वे भी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुये अपनी बात रखें।

(2) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि पंचम विधानसभा के समस्त माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को अपराह्न 01.30 बजे एवं तुरंत पश्चात् पत्रकारगणों का समूह छायाचित्र विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में लिया जाना है ।

आप समस्त माननीय सदस्यों एवं पत्रकारगण से अनुरोध है कि समूह छायाचित्र हेतु कृपया अवश्य उपस्थित होवें ।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री चंदन कश्यप

(2) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(3) श्री मोहित राम

(4) श्री धरमलाल कौशिक

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति ने समिति का एक सौ दोवां से एक सौ अठाईसवां तक 27 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

(2) श्री अरूण वोरा, सभापति, याचिका समिति ने समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री चंदन कश्यप

(2) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

(4) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पुर: स्थापित किया ।

12. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-82**, आदिम जाति कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-33**, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित **मांग संख्या-41**, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग **संख्या-42**, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-49**, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-53**, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित **मांग संख्या-64**, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-66**, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित **मांग संख्या-68**, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-15**, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-83**, स्कूल शिक्षा से संबंधित **मांग संख्या-27** एवं सहकारिता से संबंधित **मांग संख्या-17** प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-33 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा **मांग संख्या-41** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-42** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-49** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-53** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-64** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-66** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-68** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-15** पर श्री धरमलाल कौशिक, **मांग संख्या-27** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक,

शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इंदू बंजारे, सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-17** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, डमरूधर पुजारी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री सौरभ सिंह) पीठासीन हुए।)

(श्री सौरभ सिंह, सदस्य के सभापति के रूप में पहली बार आसंदी पर विराजमान होने पर श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, सदस्य सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, केशव प्रसाद चन्द्रा, ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं ।

सभापति महोदय श्री सौरभ सिंह द्वारा आभार व्यक्त किया गया ।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री लखेश्वर बघेल, धर्मजीत सिंह, श्रीमती ममता चन्द्राकर, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती इन्दू बंजारे, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, बृहस्पत सिंह, डॉ. विनय जायसवाल,

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या** 9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित **मांग संख्या** 8, पुनर्वास से संबंधित **मांग संख्या** 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित **मांग संख्या** 58, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-9 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, प्रमोद कुमार शर्मा **मांग संख्या-8** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, **मांग संख्या-35** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-58** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल , सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. विनय जायसवाल, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रामकुमार यादव, धरमलाल कौशिक, केशव प्रसाद चन्द्रा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री सौरभ सिंह, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृहस्पत सिंह, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्री शैलष पाण्डेय,

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित **मांग संख्या** 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित **मांग संख्या** 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या** 81, श्रम से संबंधित **मांग संख्या** 18, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-22 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-69** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इन्दू बंजारे, **मांग संख्या-81** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, **मांग संख्या-18** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्य-सूची में सम्मिलित पद क्रम-7 के उप पद- 4 तक का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, बृहस्पत सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, सौरभ सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर, डॉ. प्रीतम राम, श्री रामकुमार यादव,

डॉ. शिवकुमार शर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. सदन को सूचना

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु कल मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को शेष छः मंत्रियों की मांगों को कार्यसूची में सम्मिलित किया जा रहा है ।

अनुदान मांगों पर चर्चा समय पर सम्पन्न हो, इस दृष्टि से कल मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को नियम 138 के उप नियम (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जाएंगी । मैं समझता हूं । सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

14. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(4) श्री अमरजीत भगत संस्कृति मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-39**, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-26**, एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-31** प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-39 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, श्री प्रमोद कुमार शर्मा **मांग संख्या-26** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-31** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री गुलाब कमरो, पुन्नूलाल मोहले, प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती छन्नी चंदू साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, सर्वश्री रामकुमार यादव, बृहस्पत सिंह,

(श्री अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री ने जैसे ही विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की मात्रा में कमी पाये जाने के विषय में जांच कराये जाने की माननीय खाद्य मंत्री द्वारा प्रथमत: घोषणा किये जाने के पश्चात ही उनके द्वारा विभागीय अनुदान मांगों पर उत्तर दिये जाने की मांग की गई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

15. बहिष्कार

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा संस्कृति मंत्री के उत्तर का विरोध करते हुए बहिष्कार किया गया ।

16. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 9.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा